प्रेस नोट दिनाँक-25.11.2022

(1). दिनाँक-25.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 25.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. शिवशरण पुत्र बिन्दा प्रसाद रैदास निवासी ग्राम औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा अवैध खनन कर ट्रैक्टर आयशर-333 में चोरी की बालू लादकर परिवहन कर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 2. गुड्डू उर्फ ओमनारायण पुत्र रज्जन निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 3. सौकीलाल पुत्र अज्ञात 4. रामआसरे पुत्र अज्ञात 5. मोहित पुत्र अज्ञात निवासीगण औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट मौके भाग गये। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 67/2022 धारा 379,411 भादवि0 व ¾ लो0स0क्ष0 निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

ट्रैक्टर आयशर-333 मय ट्राली अवैध बालू लदा हुआ

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह

2. आरक्षी वेदप्रकाश

3. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

4. आरक्षी अमित सिंह

(4). आज दिनांक 25.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय की अध्यक्षता में सेंट थॉमस सीनियर सेकेण्डरी स्कलू में यातायात जागरूकता/साइबर अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा बताया गया कि 02/04

पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट अवश्य लगायें, छात्रों को बताया गया कि जब तक 18 वर्ष की उम्र न हो एवं ड्राइविंग लाइसेंस न बना हो तब तक वाहन न चलाए। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पश्चात ही वाहन चलाये। महोदय द्वारा शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा वर्तमान समय में हो रहे साइबर फ्रॉड के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी तथा बचाव के तरीके बताये गये तथा सोशल साइट्स पर सावधानी रखने हेतु बताया गया।

निरीक्षक अपराध श्री प्रभूनाथ यादव द्वारा बताया गया कि 02/04 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/हेडफोन का प्रयोग कतई न करें। धीमी गति से वाहन चलाये कभी भी जल्दबाजी में वाहन तेज गति से न चलाये। अपने परिवारीजनों को घर से जाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करें तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताये।

टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात नियमों के बार में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा यातायाता संकेतों के बारे में बताया गया। कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो तो उसमें घायलों की मदद अवश्य करें डरें नही, परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसलिए बिल्कुल भयभीत न हो। नम्बरों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने हेतु भी बताया गया। स्कूली वाहन चालकों को बताया गया कि स्कूली वाहनों में क्षमता के अनुसार ही बच्चों को भिठाये, सभी वाहनों में फर्स्ट एड किट, अग्निशमन उपकरण एवं खिड़कियों में सुरक्षा जाली अवश्य लगी हो तथा रोड पर चलाते समय एवं वाहन मोड़ते समय धीमी गति रखे तथा यातायात नियमों का पालन अवश्य करे।

संगोष्ठी में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को कार्यक्रम अनुरूप जिसमें सामाजिक मूल्य धैर्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर चर्चा परिचर्चा की गई

संगोष्ठी में निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी श्री प्रभूनाथ यादव, टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव, प्रधानाचार्य सेंट थॉमस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, शिक्षकगण, छात्र-छात्रायें, स्कूली वाहन चालक, परिचालक उपस्थित रहे।

(5). आज दिनाँक-25.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अवधेश कुमार मिश्रा की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी सभागार में कर्वी, सीतापुर के गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट एवं विवाह घर के संचालकों/प्रबंधकों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में महोदय द्वारा बताया गया कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान अपने -अपने प्रतिष्ठान में ब्लाइन्ड स्पॉट का चयन कर ऐसी जगहों पर अपने कर्मियों की डियूटी लगाये तथा कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था कराये तथा सुरक्षा हेतु प्रतिष्ठान के एक कर्मी की डियूटी अवश्य लगाये प्रतिष्ठान के बाहर सड़क पर पार्किंग न कराये। होटल्स, विवाह घर, रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लें जो भी खराब कैमरे हो उनकी मरम्मत कराये या उनके स्थान पर दूसरे कैमरे लगवाये। अग्निशमन संयत्रों को भी फायर सर्विस के कर्मियों से चेक कराले तथा एक्सपायरी/ठीक से कार्य न करने वाले संयत्रों को बदल दे जिससे कि जरूरत पड़ने पर किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा बताया गया कि आपके प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मियों को काम पर रखने से पूर्व पुलिस सत्यापन अवश्य करायें तभी उनको काम पर रखे। किसी भी समय पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी को सूचना दें।

गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अवधेश कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं होटल, रेस्टोरेंट, विवाह घर, गेस्ट हाउस के संचालक/प्रबंधक उपस्थित रहे।